



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड  
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 68-अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2010

दिनांक: 30 जून, 2010

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित सहायक अभियन्ता (विद्युत एवं यान्त्रिकी) को अधिशासी अभियन्ता (विद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है एवं स्तम्भ संख्या-(2) में अंकित उनके वर्तमान तैनाती स्थल से कार्यमुक्त होकर स्तम्भ संख्या-(3) में अंकित तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण की तिथि से नियमित तैनाती की जाती है :-

| नाम<br>(अभि0सं0) (गृह जनपद)        | वर्तमान तैनाती का कार्यालय/<br>स्थान                | प्रोन्नति के पश्चात् तैनाती का<br>कार्यालय/स्थल                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| (1)                                | (2)                                                 | (3)                                                                |
| श्री योगेश कुमार<br>88071 सहारनपुर | सहायक अभियन्ता (अनु0), विद्युत<br>पारेषण खण्ड, मेरठ | अधिशासी अभियन्ता (सं0), विद्युत<br>परीक्षण एवं परिचालन मण्डल, मेरठ |

2- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

3- उक्त प्रोन्नत अधिकारी को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये।

4- उपरोक्त प्रोन्नति आदेश याचिका संख्या: 34006/95 गैर अनुसूचित जाति/जनजाति अधिकारी, कल्याण परिषद एवं अन्य बनाम भारत संघ तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ में दायर याचिका संख्या: 262 (एस/बी)/2004 रघुनाथ प्रसाद एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य तथा याचिका संख्या: 1758 (एस0बी0)/2002 श्री बृज मोहन लाल अग्रवाल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित अन्तिम निर्णय के प्रतिबंधाधीन होंगे।

5- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि प्रोन्नत अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

6- उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी को उनकी नियमित तैनाती के उपरान्त कारपोरेशन के ज्ञापांक 2900-प्रशि0-10/पाकालि दिनांक 23.12.03 के प्राविधानानुसार उनके द्वारा अधिशासी अभियन्ता का कार्यभार नियमित रूप से ग्रहण करने के पश्चात् मुख्य अभियन्ता, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास उ0प्र0 पाकालि, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कराया जायेगा जिसमें इनका भाग लेना अनिवार्य होगा।

अपर प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 68 (1)अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, के प्रमुख निजी सचिव/अपर प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक/अधिशासी निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/ उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्वल, आगरा/मध्यान्वल, लखनऊ/पूर्वान्वल, वाराणसी/पश्चिमान्वल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्कौ, कानपुर।
- 3- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रान्समिशन का0लि0।
- 4- मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटर इकाई, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 5- समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 7- अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, कमरा नं0-407, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- अनु सचिव (गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र पाल सक्सेना)  
उप सचिव